


ca/2020



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



A8 878994

पुरोहितसम

दुस्त सीड-नाम पत्र

इस अनिलक नाम दिनांक 22/02/2020 को श्री गणेश जीने पुत्र पत्नी मिश्री राम-इंदीरा सुकुम समेट अशोक नगर रायबरेली द्वारा निष्पादित किया गया है।

- 1. दुस्त का नाम : गणेशीक गणेशिदासस्य
- 2. दुस्त का पता : समेट अशोक नगर इंदीरा सुकुम रायबरेली

3. दुस्त की जगहिया गणना

दुस्त में जगहिया गणना लग 10000 रुपये (दस हजार रुपये) नगर संसदानी श्री नगर श्रीराम पुत्र पत्नी मिश्री राम-इंदीरा सुकुम समेट अशोक नगर रायबरेली द्वारा दुस्त में लिखे सम्पत्ति की गयी है। जगहिया नामा प्रमाणितयन के अनुसार एक ऐसा वास्ता है जो सम्पत्ति की सामान्य को जगहिया होता है। जिसे सम्पत्ति का जगहिया सीमापर करता है जगहिया घोषित एवं कब्रिस्तार करता है सम्पत्ति का जगहिया इस प्रकार-कम अथवा जगहिया जगहिया को जित जगहिया नाम को जगहिया करता।

चर्चा

शान्ती देवी

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA


₹. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



4. ट्रस्ट के अर्थ

मूल्य ट्रस्टी/सचिव/सम्भाषक/प्रदाता ट्रस्ट का प्रदान किया गया है। ट्रस्ट एक प्रकार का आगार है। आगार का सम्पत्ति के कुछ अंश स्वामित्व से सम्बन्ध होता है। ट्रस्ट का अर्थ निम्नलिखित है जो कि प्रत्येक ट्रस्ट के लिए सिद्धांतों का अर्थ अलग अलग होता है। ट्रस्ट का अर्थ आगार सम्पत्ति प्रदान करने सम्पत्ति के स्वामित्व के आगार का सम्बन्ध होता है। इस प्रकार ट्रस्ट में आगार ट्रस्टी सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के अर्थ अलग अलग अर्थ आगार की सम्पत्ति है।

बॉर्डर आफ ट्रस्टीज-

1. न्याय की स्थापना के समय इसे मुक्ति द्वारा ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे जिसे बॉर्डर आफ ट्रस्टी अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को ट्रस्ट द्वारा समस्त अधिकारों को संचालित एवं नियंत्रित करेगा। व्यक्ति सम्पत्तियों को विवरण निम्न है-

1	बी प्रथम बॉर्डर मुक्त प्रथम निवासी धाम-ट्रस्टी इतुम सहाय जगदीश नथर राधकृष्ण	मुख्य ट्रस्टी/ ट्रस्टी/सचिव/ सम्भाषक/सम्भाषक ट्रस्टी
2	बी द्वितीय बॉर्डर मुक्त प्रथम बॉर्डर निवासी बॉर्डर ट्रस्टी, सहाय जगदीश, आगार जगदीश- राधकृष्ण	ट्रस्टी

पंचम

शुभ दी


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 085955



3	बीनदी साहिब जी, जयपुर विश्वविद्यालय जयपुर निवासी जयपुर इस्टेट, जयपुर कर्मिण, अंगारवाड़ा जयपुर - राजस्थान
---	--

1. यह कि मैजिस्ट्रेट ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो विधायी कर विधान विधायी करके एवं समस्त प्रायः करने हेतु कोई आदेश ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम एकदश सदस्य हों।
2. यह कि मैजिस्ट्रेट ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करने समय जसला कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्य जबकि मैजिस्ट्रेट ट्रस्टी/प्रबन्धक की इच्छा से निरत करती है तथा मैजिस्ट्रेट ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी भी कोई कारण बताये ट्रस्टी को हटाने का हक रखता है।
3. यह कि मैजिस्ट्रेट ट्रस्टी/प्रबन्धक जयपुर में उचित समझे कोई अन्य ट्रस्टीज की केंद्रक आशयित कर सकता है। जिसकी सम्पत्तियां मैजिस्ट्रेट ट्रस्टी/प्रबन्धक हस्त लेगा।

5. ट्रस्ट के मुख्य सदस्य

ट्रस्टी का मुख्य सदस्यता गिन-गिन जयपुर एवं जयपुरी एवं जयपुरी माध्यम की शिक्षण संस्थाएं प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, राजभूत विद्यालय, राजभूत महाविद्यालय, नर्सिंग संस्थान

जयपुर

प्रादीदी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 085957



ए राष्ट्रीय संकेतक स्थपित करे कल्याणकारी योजनाओं में भी संभालन करेगा। किसी किसी जुनि को ७७-विषय कल्या तथा व्यवस्थापकानुसार हुए ट्रस्ट में संश्लिषा संस्था को तीन (एकदा) पर देना। सीटिंगसी, साइडली/साइड, १०१९७०, सीटिंगसी/०० सांकेत, सीटिंगसी/साइडली/साइडली, पालीटिकीक, इन्जीनियरिंग, फारीसी, मैनेजमेंट, सीटिंगसी, जो लेवल जो साइड साइड/साइडली, कालसे, मैने टैकनीसीसी, स्पेट, सीटिंग साइडली/साइडली की स्थापना तथा संसक संभालन करेगा। काल परदेस सरकार एवं भासा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त वैधानिक व्यवस्थीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संभालन करेगा। एक-विदेश से परदा आदि प्राप्त करेगा एवं ट्रस्ट की गठना में सवे करेगा। ट्रस्ट के मुख्यतः से अधिक में एक जो भी संस्थाएँ छोटी-छोटी जायेगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यवाहिणी द्वारा एवं किया जायेगा। गैर-सरकारी संगठन (समाजीयो) के राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्य को सम्पादन करेगा। किसी-किसी ट्रस्ट वसले आकार पर एकके द्वारा संश्लिषा विहित सम्बन्धों पैसा-आयन, अनायास, एक-आयन, विविधसाधन, कृषि-कार्य, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक, कर्मसीसी, कृषिपिम्, विविधरासीय संस्थाओं आदि को ट्रस्ट (न्याय) में विधीन (समाहित) करेगा एवं इनको ट्रस्ट की नियमानुसार संभालित करेगा। एक जीला, राजसीय, वल परा व्यवसायिक एवं राष्ट्रीय अनुष्ठानी का प्रचालन करेगा। आशय, मन्दिर व मंठी की स्थापना व उनका संभालन करेगा। ट्रस्ट स्थापना एवं प्रचालन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करेगा। जनसंख्या नियंत्रण, एक

पंचम

श्री-श्री देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



FR 085958

जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामूहिक प्रतिकार, बुवाई, अन्वेषिकताओं के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर समन्वय-साधन से सहयोग करना एवं जलवायु परिवर्तन से निवारण। अन्य सार्वजनिक धर्म (एनके) संविधान (दूसरे) में अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। युवा, कलाकारी, पर्यटन, पशुपालन, पृष्ठ उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उद्योग, अनुसंधान, जाति, अनुसंधान, जागतिक, विद्युत बर्तन का उत्पादन, बंधनकार निरोध, मनुष्य एवं जलवायु का विकास, स्वीकृतिपूर्ण का विकास, औद्योगिक विकास, अन्वेष, सामरिक उद्योग, स्थापना, उद्योग, शिक्षा (सांख्यिक, सांख्यिक, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, विविध शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, दूर शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, पत्र, जापान एवं सार्वभौमिक, सार्व विकास एवं कीर्ति उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, सौभाग्य, भाषा, अन्वेष, कला, लोक निर्माण, सिखाई, ग्रामीण उद्योग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, आयुर्वेद एवं होमोपैथिक शिक्षा, परिवहन, परिवहन कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य, वन, मत्स्य, मत्स्य, सामुदायिक एवं पुष्पकार, वन, मत्स्य एवं खनिज कार्य, खनिज, मृदा, मत्स्य, खादी एवं सामुदायिक, भूमि विकास, जल संसाधन, पत्ती, भूमि विकास, उद्योग, पर्यटन, लघु उद्योग, स्थापना, अन्वेष, उद्योग, उद्योग विकास, संस्कृति, मत्स्य, विज्ञान, समाज, पंचायतीराज, सामुदायिक, सामुदायिक योजनाएं एवं सार्वभौमिक, सामुदायिक सुख, स्वास्थ्य एवं विद्यार्थी संसाधन, शिक्षण, निर्माण एवं पंचायतीराज, शिक्षा, मत्स्य, मृदा एवं खनिज, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विद्यालय एवं प्रौद्योगिकी, सार्वभौमिक, समन्वय, सार्वजनिक

पंचम

शा-लौरेवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



FA 085959

राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं ग्राम सभ्यता, वास्तविकता कल्याण कृषि विषयान्, विपरीत प्रोत्साहकान्, पुरातान्, अधिवास एवं सेवाभाजन, प्राणी उद्योग, एवम् नियंत्रण, स्वास्थ्यिकान्, औषधो राहत, पेयजल एवं सभ्यता, महामारी समितिया, सञ्चालन एवं वैयक्तिक शिक्षा कल्याण, संस्थागत विद्या एवं सर्वहित सेवा, सवारीय निकाय, युवाजी विचिन्ता, प्रशासन एवं धर्मधन सभ्यार्थ, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुष्ठान संस्थान, रिमोट-सैरिमा प्रचित कला विषयकला, वैयक्तिक कला विद्याय संस्थान, विलीय प्रथम, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, ज्योतिष विद्या संस्थान, नाटक, स्वरचना, संचयन सेवानी, धर्मशास्त्रा हेतु संस्थान, सुमि सुधार, सभ्यता, विचार, प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रानिक सैरिमा, कम्प्युटर तथा अन्य सैरिमा के विद्याय हेतु संस्थाने आदि स्थापित करना व प्रस्ताव विद्याय कलाय सौ. प्रस्ताव, करना। अधिसूचना अधिनियम-1989 की धारा-13 (1) तथा धारा-14 (1) एवं कानून-निर्णय के अनुसार न्याय का सन् विधिमे संयोजनी मे लाना।

विशेषी संस्था, एवं तथा अन्य बाध्य साधना मे प्रस्तावो कृषिमे हाईस्कूल, इण्टर कॉलेज, सुमि कॉलेज, डिग्री कॉलेज, वैयक्तिक एवं प्रशिक्षण संस्थानो, सञ्चालनमे महाविद्यालय, प्रविधिक, तकनीकी विद्याय, व्यवसायिक, ज्योतिषिक संस्थानो/विश्वविद्यालय कन्दो कानि को स्थापना एवं सञ्चय संघालन करना।

लेखा को जमा करने के लिए 125, 00⁰⁰, 10/30 व 38 एक के संयोजन विधाने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

पंचम

शा-सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



FA 085960

केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा गतकी शक्ति प्राप्त न्याय परिषदों को जनता के लिए न्यायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जीवन भर के कार्य करने वाले गतकी शक्ति प्राप्त न्याय परिषदों को सम्मान एवं सम्मानित करना जारी है।

6. ट्रस्ट कार्य क्षेत्र - सम्पूर्ण भारत

7. ट्रस्ट के धन सम्बंधी कार्य

1. ट्रस्ट से प्राप्त आय का ट्रस्टियों द्वारा किया गया धन एवं धन कर्मियों को सम्बंधित ट्रस्ट के द्वारा खर्च करने वाला किसी भी बैंक में जमा की जायेगी जो सम्बंधित ट्रस्ट के सदस्यों की सुरक्षा में रखे जायेगी। सम्बंधित को लेन-देन करने तथा बैंक खाता के सम्बंधित मुद्रा ट्रस्टी/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के किसी एकल अथवा समुदाय रूप में किया जायेगा अथवा मुद्रा ट्रस्टी द्वारा नामित किसी ट्रस्टी/सचिव द्वारा किया जायेगा।
2. इन ट्रस्ट द्वारा सम्बंधित सभी सम्बंधों को सम्पूर्ण रूप से अथवा सम्बंधित एवं सम्मान सम्बन्धित इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
3. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा कोई भी सम्मान सम्पादित होती है तो ऐसी स्थिति में सम्मान की रकम व आय सम्बंधित ट्रस्ट में रखे निर्दिष्ट हो जायेगी।

पंचम

श्री ली देवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 914190

अ. दफ्तरों की नियुक्ति

सभी दफ्तरों के अंतर्गत सदस्य होने, जिनकी भी सदस्य में पुरुष संख्याना बोर्ड जैक दफ्तरों 2/3 सदस्यों के आधार पर नये दफ्तरों की सम्मिलित कर संख्या है विचारके लिए शुभक एक लाख रुपये द्वारा एक निम्न संख्याएक दफ्तरों के संख्याएक पर लागू नहीं होगा। संख्याएक/मुख्य दफ्तरों/सचिव/प्रबन्धक अपने संख्याएक/सचिवों में रूप में मुख्य दफ्तरों/सचिव/प्रबन्धक अपने पुत्र संख्या पुत्री संख्या इनके संख्याएक/सचिवों की नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रपत्र होगा। मुख्य दफ्तरों के आसक्तिन नरुपु 100 रुपये, सचिव/सचिव संख्याएक/सचिव/प्रबन्धक/सचिव 50 रुपये का प्रपत्र, मुख्य दफ्तरों/प्रबन्धक/सचिव 100 रुपये का प्रपत्र।

ब. संघालित संख्याओं की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य

दफ्तर द्वारा संघालित विद्यालय/सहायिका/अन्य संख्याओं संख्याओं जो दफ्तर द्वारा संघालित होने, की प्रबन्ध समितियों का प्रपत्र मुख्य दफ्तरों एवं दफ्तरों मिलकर करेगा यदि मुख्य दफ्तरों व दफ्तरों द्वारा प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं होगी है तो दफ्तरों एवं दफ्तरों मिलकर अन्य संख्या सदस्यों को प्रबन्ध समिति द्वारा नामित करेगा।

पंचम

श्री लाली

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 914191

10. टास्टी

कौ-पेसल बीसों पुन पणम इस टास्टी के दुवरे टास्टी/संस्कारक टास्टी/ प्रबन्धक/समिप कडे जायेगे जो टास्ट प्रमुख ही। चनक मुलीमशाला इत्यक्त द्वारा नामित अधिक अथवा इनका उत्तराधिकारी पंतासितासी/मुख्य टास्टी/ प्रबन्धक/ समिप उज्ज टास्टी लीगे।

11. टास्ट की बैठक

बोर्ड जीम टास्टी/प्रबन्ध कारिणी जी बैठक जने में तान से कप-एक बार होगी जिसकी मुयनी समस्त टास्टियों की 60 दिन मुदे की जायेगी किन्तु जिसके बैठक तारखे की समाप्त 24 घण्टे पहले मुयना देकर बुलवायी जा सकती है। बैठक अज्ज के सम्मेलन में प्रबन्धक/समिप द्वारा बुलायी जायेगी बैठक में समस्त टास्टियों के 2/3 टास्टियों का होना आवश्यक है।

12. बोर्ड जीम टास्टी/प्रबन्ध कारिणीजी के अधिकार एवं कर्तव्य

1. कर्तव्य

बोर्ड जीम टास्टी के प्रबन्ध काम की अन्वयता करे तथा बीटिंग बुलाने हेतु सांकेत को निर्देशित करेगे।

पंचम

शाही देवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

CB 914192

2. मुख्य दुरती/प्रबन्धक/सचिव

1. संस्थान दुरती (न्याय) को सभी कार्यों एवं उस संस्थानों तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देना।

2. मुख्य दुरती द्वारा दुरत (न्याय) को कार्यालय में लिये गये निर्णय सर्वोन्मुख होने।



3. संस्था के प्रबंधात्मकीय कर्तव्य को सभी सदस्यों को अवगत कराना।

4. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक निर्णयक मत देना।

5. आवश्यक कार्रवाई को अवगत कराना एवं कार्यालयित करना।

6. दुरत के विचार के सम्बन्धित कार्यों में जो सदस्यों एवं कार्यकर्ता का निर्धारण करना।

7. दुरत (न्याय) द्वारा एवं आचारिक नीतियों का निर्धारण करना एवं न्याय के विकास के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करना व दुरत के

पंचम
[Signature]

श्री. श्री. श्री
[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


CB 914193

समाधिकारित न वास्तवी को सम्बन्धित कार्यवाही में प्रयोग करना।

१

मुख्य दफ्ती द्वारा सम्बन्धी के लिए भूमि-बचन का क्या बीज (एग्रेस) सम्बन्धी किसी अन्य प्रकार से सम्बन्धित करना एवं डाटा के निष्कारण की गैरही करना।

२



मुख्य दफ्ती द्वारा सम्बन्धित किसी सम्बन्धी में भूमि-बचन सम्बन्धी को दफ्ती के सम्बन्धी की पूर्ति के लिए भूमि या खरीद सकता है।

३

मुख्य दफ्ती द्वारा सम्बन्धी की पूर्ति के लिए भूमि-बचन से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। दफ्ती के लिए सम्बन्धी, बन्धा, अग्रे प्रस्ताव किसी भी अग्रे, फर्म, एम्प्लोयर्स, किसी अन्य ब्याज या कार्यवाही वाली इलाके से अग्रे किन्हीं कार्य सम्बन्धी लीज कर सकता एवं विवेकानुसार उसे खर्च करना।

यंचम

शांता देवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

CB 914194

11

संख्या के कमेथारियों की नियुक्ति अनुसूचितकालपूर्व कमेथारी पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक टुस्टी प्रमन्यक/सचिव से प्राप्त होता है।

12

संस्थापक/मुख्य टुस्टी किसी भी समय किसी संस्थान को बंद करवा सकता है 3/3 बंदूका से निष्कात करता है यह प्रावधान संस्थापक टुस्टी को इसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होता।

13

किसी भी संवत्क वद्वेष के किसी अन्य टुस्ट (भ्यास) संस्था/समिति का संघटन एवं चरका किले जाने (टुस्ट) में कर सकता है।

14

टुस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी प्रथमिक असाहमति लिखित रूप से प्रदान करने तथा टुस्ट के नियम, परिचयों को विरहीत नहीं करने वाले टुस्टी से बर्खास्त करता।

15

टुस्ट (भ्यास) द्वारा संवत्क संस्थापक, कार्यकर्ता, डिप्ट-कलाप में निर्धारित शर्तों व

पंचम

शांती देवी

भारतीय नैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 914195

गौतम यह किल्लों वावित वा वविलियों को न्याय के कामे हेतु विदुषा बनन, कलक विद्वान् अनुसन्धानात्मक कार्यावाही कलन, परीक्षण एव परखुत कलन; न्याय के ऐसे कार्यो को किल्लों को न्यायालय वा टिबूनल जादि नै सितावित नही किल्ल जा कलगा न ही चुनीगी की जा किल्लगे।



इस्ट इण्डिया संघटित विभिन्न सेल्लानों, कार्यालय, विधि कल्लों जादि के समस्त जनसमितियों एव कार्यो का सलान कलन। इस्ट के धन के इस्ट को विभिन्न कल्लों के विकास एव परिदेवुल कल्लों नै कलन कलन।

17.

इस्ट के मुख्य इस्टी/प्रसन्नक/सचिव की अवसलविक कल्लों सार्वधिक मुलु के सधोव कल्लों विधिक कल्लोंवाही कल्लों एव विदुषा कल्लों जा किल्लगे।

18.

इस्ट के धन नै कल्लों कल्लों की अवसलविक कल्लोंवाही वा प्रतिनिधित्व कल्लोंवाही को अनुमति नै एव कल्लों की किल्लों कल्लों।

५
पंचम

14

शान्तिदीर्घा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश: UTTAR PRADESH

CB 914196

12.

संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, जहाँ अनुदान पत्रों, बैंक ड्रस्टी, बंधन विवेकों, मिल सांख्यिक पर हस्ताक्षर करना।

संदर्भ ड्रस्टी:

संस्था में भाग लेने वाले ड्रस्टी के सर्वोच्च श्रेष्ठ में निर्णय लेना एवं ड्रस्टी की योजनाओं में स्वार्थ प्रतिष्ठान में साक्ष्य प्रदान करना।

13. निष्ठा परीक्षण:

ड्रस्टी की पृष्ठभूमि में भाग लेने एवं संस्था में किसी ड्रस्टी सदस्य को ड्रस्टी का निष्ठा परीक्षण नियुक्ति किया जा सकता है एवं पृष्ठभूमि द्वारा आवश्यक समझ जाने पर इत्यादि जो साक्ष्य ड्रस्टी प्रमुख के मार्ग पर जाने एवं साक्ष्य में ही ड्रस्टी के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु वह प्रत्येक संस्था जोड़ा समझ एवं नियमित रूप से कठोर अनुसंधान करके करीब आना। संस्था के साथ-साथ ही कार्य की सेवा समझ पर जोर देना पृष्ठभूमि के संस्था प्रस्तुत करना।

14. संस्थाओं की प्रमुख समितियों का गठन

पंचम

शान्तिदीवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 914197

1. दफ्तर द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष समिति का चुनाव इन्हीं दृष्टियों द्वारा किया जाएगा जिसके लिए मुख्यदफ्तरों चुनाव अधिनियमों की विधिगत करना।
2. दफ्तर द्वारा संघान्तर संस्थाओं/सहायिकाओं की प्रत्यक्ष समितियों के पदाधिकारियों के अधिकतम कार्यकाल निर्दिष्ट प्रत्यक्षीय विधान के अनुसार होंगे।
3. दफ्तर द्वारा संघान्तर संस्थाओं/सहायिकाओं के संघान्तर के लिए प्रत्यक्ष समिति का गठन मुख्यदफ्तरों में दफ्तरों विधानों करने तथा की प्रत्यक्ष समिति पूर्व नहीं है जो मुख्यदफ्तरों व दफ्तरों अन्य बाहरी सदस्यों की प्रत्यक्ष समिति के रूप में कार्य करेंगे।
4. दफ्तर द्वारा संघान्तर सहायिकाओं/सहायिकाओं विधान की प्रत्यक्ष समिति में पदाधिकारियों व सदस्यों का गठन मुख्यदफ्तरों व दफ्तरों विधानों करने। संघान्तर संस्थाओं/सहायिकाओं में निम्न पदाधिकारी होंगे।

1-अध्यक्ष	एक	2-सहायक	एक
3-प्रबन्धक/सचिव	एक	4-सहायक/सचिव	एक
5-सहायक	एक	6-सहायक/सचिव	एक
7-सदस्य	एक		

उत्तर

श्री. सी. टी. टी.

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15AE 867123

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा जिला सचिव निर्दिष्ट सर्वमान्य बोर्ड, कोई भी ट्रस्टी जो ट्रस्ट के विदेशी गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाता है तो उसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 2/3 बहुमत पर निष्काशित कर सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अपने गतिविधियों एवं सदस्यों को आवश्यकतानुसार अधिकार देने हेतु समर्थ होगा।

जहां बंधु ट्रस्ट की मुख्य दृष्टियों द्वारा राजी व धुरी से बिना बदलाव के निष्काशित व निष्काशित नहीं जा सकता है तथा जो अपने पूर्ण शक्ति शक्ति में परिवर्तित नहीं हो सकता है।

पंचम

श्री लाल

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10

TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15AE 867124

पंचम

शान्ति देवी



वस्तुकार गुणाव =

1. सुदीपक चान्द पुत्र राम कुमारे
पाम - सीतापुर
परमपुर - सलीम
तहसील - जौनपुर
जिला - रायबरेली (उत्तर)
पीएन - 2200000000

श्री. यशपाल

वस्तुकार मुख्य इस्ती/प्रबन्धक
पंचम



2. अमित शर्मा पुत्र विद्यानाथ शर्मा
पाम व पीठ - जौनपुर
परमना - सलीम
तहसील - जौनपुर
जिला - रायबरेली (उत्तर)
पीठ नं० - 0005588000

केश

Amit Maurya

श्री पंचम शर्मा पुत्र पंचम
शिवानी - इलीया मुजुम, सहाय
अशोक नगर, इलीया मुजुम,
रायबरेली

संकेत संख्या 46-2026
श्री. विद्यानाथ शर्मा
पंचम कुमार शर्मा
क. र. अशोक

7591
 7502
 18.2-20.20
 12.1

आवेदन सं: 202000028001011

बही संख्या 4 जिल्हा संख्या 7 के पृष्ठ 145 से 188 तिका क्रमांक 2 पर दिनांक 22.02.2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(Handwritten signature)

रामेश कुमार श्रीवास्तव DA
 उप निबंधक - ऊंचाहार
 हाथबोली
 22/02/2020

